न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–106 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
जबरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी पायला कला तहसील सिणधरी		1. प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह 2. रामसिंह पुत्र रूपसिंह 3. वेलसिंह पुत्र रूपसिंह 4. गवरीदेवी पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत निवासी पायला कला तहसील सिणधरी 5 .राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–29.09.2022

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मुतवफी रूपसिंह के वारिसान है। मुतवफी रूपसिंह के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर व ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी रूपसिंह के फौतेदगी पर पारित ना.क.स. के जरिये ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ 1/25–1/25 खातेदारी में दर्ज हुआ, परन्तु ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर में केवल [illegible] सं. 1 से 4 का 1/20–1/20 का नाम दर्ज हुआ, जबकि उक्त आ[illegible] 4 के साथ वादी जो कि स्वर्गीय रूपसिंह का विधिक वारिस होने से [illegible] प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल[illegible]त्रफल 7.5479 हैक्टयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ 1/25 हिस्से का खातेदार धोषित करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 4 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर

SDO सिणधरी

से राजीनामा पेश किया गया। विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

3.वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 वादी– जबरसिंह व पी.डब्ल्यू–02 कुपसिंह की ओर से लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 ग्राम मोतीसरा एवं जमाबंदी 2076 से 2079 ग्राम पायला खुर्द प्रदर्शित करवाई गई।

4.हमनें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को सुना, वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मुतवफी रूपसिंह के वारिसान है। मुतवफी रूपसिंह के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर व ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी रूपसिंह के फौतेदगी पर पारित ना.क.स. के जरिये ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ 1/25–1/25 खातेदारी में दर्ज हुआ, परन्तु ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7:5479 हैक्टयर में केवल प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 1/20–1/20 का नाम दर्ज हुआ, जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के साथ वादी जो कि स्वर्गीय रूपसिंह का विधिक वारिस होने से उन्हें भी खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ 1/25 हिस्से का खातेदार धोषित किया जावे। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर तर्क दिये गये कि वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 04 हिस्से में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदार धोषित करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक थोक का 1/25,1/25 हिस्सा धोषित किया जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने वादी की बहस का समर्थन करतें हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मुतवफी रूपसिंह के वारिसान है। मुतवफी रूपसिंह के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7. 5479 हैक्टयर व ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में मेरा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 04 का प्रत्येक का 1/25–1/25 हिस्सा निहित है, तथा हमारे साथ वादी का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है। हमारे साथ वादीगण को सहखातेदार धोषित किया जाता है,तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

6.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में जाहिर किया कि [illegible] भूमि पुश्तैनी है और पक्षकारान का राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाता [illegible] सरकार को आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

7.हमनें दोनो पक्षों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात एंव राजीनामा का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 मुतवफी रूपसिंह के वारिसान है। मुतवफी रूपसिंह के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर व ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी रूपसिंह के फौतेदगी पर पारित

ना.क.स. के जरिये ग्राम पायला खुर्द खेत खसरा संख्या 304 व 324 कुल क्षेत्रफल 14.4973 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ 1/25–1/25 खातेदारी में दर्ज हुआ, परन्तु ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर में केवल प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 1/20–1/20 का नाम दर्ज हुआ, जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के साथ वादी जो कि स्वर्गीय रूपसिंह का विधिक वारिस है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पुश्तैनी भूमि में हिन्दु को जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है,और पुश्तैनी भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र खातेदारी अधिकार धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत जरिये वाद प्राप्त कर सकते है और वादी प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदार धोषित होने के हकदार है एवं वादग्रस्त भूमि के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया है,जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने स्वीकार किया है,कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। वादी का हमारे साथ 1/25,1/25 हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इनको हमारे साथ सहखातेदार धोषित किया जाता है,तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वादी की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस नतीजें पर पहुंचा है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वादी अपने को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदारी धोषित करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

8.लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीसरा की खेत खसरा संख्या 281 व 299 कुल क्षेत्रफल 7.5479 हैक्टयर में प्रतिवादी सं. 01 से 04 के हिस्से के साथ वादी को सहखातेदार धोषित करते हुए 1/25 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक थोक का 1/25,1/25 हिस्सा धोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। शेष बदूस्तर रहेंगा। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(वीरमाराम)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 29/09/22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested